

विद्युत वितरण



दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

(उपरोक्त नाम पर उपरोक्त) CIN-1312001P2005SC027460 GSTIN-09AAACCD0695D1ZS

पत्रांक 5921/प्र.नि./द.वि.वि.नि.लि./मु.अ.(वा.)/सी-301

दिनांक-05/09/2017

विषय:- प्रदेश के जिले में शहर के दाहरी इलाकों में अदिकसित/अविद्युतीकृत कालोनियों में नये विद्युत तंत्र की स्थापना हेतु योजना के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण),
आगरा/अलीगढ़/कानपुर/झाँसी/वाँवा क्षेत्र।

कृपया उपरोक्त विषयक समस्त डिस्ट्रिक्ट के साथ प्रकथ निदेशक, द०वि०वि०नि०लि०, आगरा को सम्बोधित निदेशक (वाणिज्य), उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि०, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ के पत्र सा० 67/पीएसडीसी/पाकालि/2017 दिनांक 22.08.2017 (आयाप्रति सलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्र द्वारा उपरोक्त योजना के परिपेक्ष्य में विद्युत प्रदाय सहिता-2005 में यथावित्त सशोधन हेतु माननीय नियामक आयोग के समक्ष एक याचिका दाखिल की गयी थी। माननीय नियामक आयोग द्वारा विद्युत प्रदाय सहिता-2005 के 8वें संशोधन में यथा आवश्यक परिवर्तन कर विद्युत प्रदाय सहिता (9वें संशोधन) दिनांक 21.08.2017 को जारी कर दिया गया। विद्युत प्रदाय सहिता (9वें संशोधन) में, बिना विस्तार में गये, योजना के अनुसार एक मुश्त अथवा किरतों में भुगतान को अनुमोदित किया गया है अतः किरतों की सुविधा योजना के अनुसार ही देय होगी। अन्य शर्तें भी योजना के अनुसार ही प्रदत्त होगी।

उक्त की ध्याप्रति आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त सशोधन एवं योजना की प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

(आर०वी० सिंह)

अधिसासी अभियन्ता (वाणिज्य)

पत्रांक 5921/प्र.नि./द.वि.वि.नि.लि./मु.अ.(वा.)/सी-301

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), विद्युत वितरण मण्डल/वि०न०वि०न०, द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
2. समस्त अधिसासी अभियन्ता (वितरण), विद्युत वितरण सण्ड/वि०न०वि०ख०, द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।

संलग्नक-यथोपरि।

(आर०वी० सिंह)

अधिसासी अभियन्ता (वाणिज्य)

संजय कुमार सिंह
निदेशक (वाणिज्य)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-असोक मार्ग
लखनऊ - 226 001
ई-मेल - directorcom.uppel@yahoo.in
फोन : 0522-2287806(O)
(फैक्स) : 0522-2287806
CIN:U32201UP1999SGC024928

5921
31/8/17

संख्या: 67 / पीएसडीसी / पाकालि / 2017

दिनांक: 22 अगस्त, 2017

विषय: प्रदेश के जिले में शहर के बाहरी इलाको में अविकसित/अविद्युतिकृत कालोनियों में नये विद्युत तंत्र की स्थापना हेतु योजना के सम्बन्ध में।

प्रबंध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि०
पश्चिमांचल-मेरठ / दक्षिणांचल-आगरा /
पूर्वांचल-पाराणशी / मध्यांचल-लखनऊ।
कैरको, कानपुर।

CE/Com

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा शहरों के बाहरी इलाको में अविकसित/अविद्युतिकृत कालोनियों में विद्युतिकरण कार्य को और सुगम बनाने के उद्देश्य से एक योजना तैयार की गयी एवं उपरोक्त योजना के परिपेक्ष्य में विद्युत प्रदाय संहिता 2005 में यथाचित संशोधन हेतु माननीय नियामक आयोग के समक्ष एक याचिका दाखिल की गयी थी। माननीय नियामक आयोग द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता 2005 के 8वें संशोधन में यथा आवश्यक परिवर्तन कर विद्युत प्रदाय संहिता (9वां संशोधन) दि० 21.08.2017 को जारी कर दिया गया। विद्युत प्रदाय संहिता (9वां संशोधन) में, बिना विस्तार में गये, योजना के अनुसार के मुश्त अथवा किशतों में भुगतान को अनुमोदित किया गया है, अतः किशतों की सुविधा योजना के अनुसार ही देय होगी। अन्य शर्तें भी योजना के अनुसार ही प्रवृत्त होंगी।

उपरोक्त संशोधन एवं योजना की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न हैं।

संलग्नक: उपरोक्त।

संलग्नक को 2 अक्टूबर 2017 में प्रभु को 13/8/17

Sanjay 22/8/17
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक(वाणिज्य)

प्रतिलिपि निम्न के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबंध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

all CE/SE/EE/CO

(संजय कुमार सिंह)
निदेशक(वाणिज्य)

प्रदेश के जिले में शहर के बाहरी इलाकों में स्थित अविकसित/अविद्युतीकृत कालोनियों में विद्युत तंत्र स्थापित करने से सम्बन्धित योजना का प्रारूप

प्रदेश के प्रत्येक जिले में शहर के बाहरी इलाकों में कुछ विकासकार्यों में प्लाटिंग तो कर दी है, परन्तु रहन-सहन के लिए आवश्यक सुविधा हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं कराया है अर्थात् वहाँ कोई भी विद्युत तंत्र नहीं है, जिससे वहाँ के निवासी बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं या अर्द्ध रूप से विद्युत का उपयोग कर रहे हैं। प्राचीन क्षेत्रों में यद्यपि विद्युतीकरण हेतु दीनदयाल उपहत्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तथा ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत घोषित है किन्तु शहर के बाहरी क्षेत्र में विद्युतीकरण हेतु कोई भी योजना अभी तक नहीं बनी है।

उपरोक्त अध्यासियों की समस्याओं व शासन की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए निम्नवत योजना प्रस्तावित है -

1. शहर के बाहरी क्षेत्रों में प्लाटिंग का नवन निर्माण हो गये हैं किन्तु कतिपय कारणों से पूर्व में कुछ अध्यासियों को लम्बी दूरी (40 मीटर से अधिक) के विद्युत संयोजन प्रदान कर दिये गये हैं अथवा वर्तमान में लम्बी दूरी के कारण संयोजन निर्गत नहीं किये जा पा रहे हैं। ऐसे अध्यासियों को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु योजनाबद्ध तरीके से सुदृढ़ विद्युत तंत्र का निर्माण करना आवश्यक है। इस श्रेणी के अन्तर्गत सभी अध्यासियों से संयोजन राशि के अतिरिक्त उनकी प्लाट की रजिस्ट्री में वर्णित क्षेत्रफल के अनुसार ₹0 35 वर्ग फीट की दर से विद्युत तंत्र निर्माण हेतु निम्नानुसार धनराशि जमा कराया जाना प्रस्तावित है -

- i. 1000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल वाले प्लाट के लिये ₹0 35 प्रति वर्ग फीट की दर से एकमुश्त जमा कराया जाये।
- ii. 1000 वर्ग फीट या उससे कम क्षेत्रफल वाले प्लाट के लिये ₹0 35 प्रति वर्ग फीट की दर से एकमुश्त जमा कराया जाये।

अथवा

₹0 15 प्रति वर्ग फीट की दर से एकमुश्त तथा अधरोष राशि ₹0 1 प्रति वर्ग फीट प्रति माह की दर से 24 समान किश्तों में ली जायेगी, जिसमें कुल ₹0 35 से अधिक ली गई धनराशि ब्याज के रूप में देय है। उपरोक्त द्वारा किश्तों का भुगतान उसके बीजकों में जोड़कर प्राप्त किया जायेगा। किश्त का भुगतान न किये जाने पर बीजकों के भुगतान से सम्बन्धित विलम्ब अधिभार एवं विच्छेदन की व्यवस्था नियमानुसार प्रभावी होगी।


2. इस नवीन विद्युत तंत्र के दायरे में पूर्व के लम्बी दूरी के संयोजन प्राप्त अध्यासी भी इस योजना के अन्तर्गत आयेगे और उन्हें भी उपरोक्त 1 (i) अथवा 1 (ii) के अनुसार धनराशि जमा करना आवश्यक होगा।

3. इस योजना के अन्तर्गत शहरों की बाहरी सीमा पर स्थित ऐसी अविकसित कालोनी चिह्नित की जायेंगी जहाँ न्यूनतम 25 प्रतिशत प्लाटों पर भवन निर्माण हो गये हो तथा जहाँ से ₹0 60 प्रतिशत भवन स्वामियों ने उपरोक्तानुसार निर्धारित धनराशि जमा करा ली हो।

3517
 2008 (आर००९०००)

4. इन योजनाओं में 11 केवी० का तंत्र रटील ट्यूबलर पोल पर तथा एल०टी० लाईनों को पी०सी०सी० पोल पर ए०वी०सी० कबल डालकर विकसित किया जायेगा जिससे विद्युत घाटी की सम्भावना न हो।
5. इस योजना के अन्तर्गत 'कलर कोडिंग' कर विद्युत उपकरण स्थापित कर विद्युतीकरण किया जायेगा जिससे इस योजना के क्रियान्वयन में कोई संशय न रहे। इस तरह के नव निर्मित तंत्र से दिये जाने वाले प्रत्येक अध्यासी द्वारा उपरोक्त धनराशि एवं उसकी किस्तों को जमा करना क्षेत्र के अवर अभियन्ता का पूर्ण दायित्व होगा एवं इसका अनुब्रवण उपखण्ड अधिकारी स्तर पर किया जायेगा।
6. योजना के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित अविजसित कालोनियों के सम्बन्ध में विचार किये गये एस्टीमेट मितव्ययता के साथ इस प्रकार तैयार किये जायेंगे कि एस्टीमेट की धनराशि में आवेदकों द्वारा प्राप्त धनराशि को समायोजित करने के परचात् शेष धनराशि 2-3 वर्षों में आतिरिक्त राजस्व प्राप्ति के रूप में सम्बन्धित वितरण नियम का प्राप्त हो जाये।
7. इस योजना हेतु तैयार एस्टीमेट के औचित्य तथा उसके परीक्षण हेतु डिस्काम स्तर पर एक "स्क्रीनिंग समिति" का गठन होगा जिसमें चिन्हित कालोनी क्षेत्र से सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि भी सदस्य होगा। स्क्रीनिंग समिति की बैठक पार्षदिक रूप से होगी।
8. ऐसे विकसकर्ता की भूमि जिसने प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त कर विकास हेतु धन लिया हो एवम विकसकर्ता बीच में ही अविजसित भूमि को छोड़कर चला गया हो वहाँ यह योजना लागू नहीं की जायेगी। समस्त अध्यासियों द्वारा निर्धारित पूर्ण राशि के भुगतान हेतु सहमति पर कार्यान्वित किये जाने पर विचार हो सकता है।
9. इस योजना के क्रियान्वयन के परचात् कितनी भी स्थिति में लम्बी दूरी के संयोजन की स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी/अधिकारक सीधे जिम्मेदार होंगे तथा नियम की अवहेलना पर विभागीय नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।
10. इस योजना से आच्छादित क्षेत्र में किसी अन्य योजना के अन्तर्गत संयोजन निर्गत नहीं किये जायेंगे।
11. यह योजना पब्लिक टैण्ड (नजूल/सरकारी) पर लागू नहीं होगी।
12. वित्तिंग सापटवेयर में इन संयोजनों को अलग से चिन्हित किये जाने की व्यवस्था की जायेगी।
13. इस योजना में किये जाने वाले व्यय की धनराशि को पृथक लेखा शीर्ष द्वारा लेखांकित किया जायेगा।
14. इस योजना में निर्गत किये जाने वाले संयोजनों हेतु सम्बन्धित वितरण क्षेत्र के अधिशासी अभियन्ता अधिकृत होंगे।

यह योजना प्रत्येक डिस्काम में शहर के बाहर घनी रती अविजसित कालोनियों को प्राथमिकता देते हुए चिन्हित कर कार्यान्वित होगी। प्रारम्भ में समस्त डिस्कामों द्वारा चिन्हित विशेष कालोनियों पर होने वाला कुल समेकित व्यय अधिकतम रु० 100 करोड़ की धनराशि तक सीमित होगा।


 (नीरज अग्रवाल)
 मुख्य अभियन्ता (आर०ए०यू०)

मु०अ० (आर०ए०यू०)
 उ०प्र०फ०का०लि०

Electricity Supply Code (Ninth Amendment), 2005

No.: UPERC/Sacy/Regulations/Supply Code/2017/

Dated: 21.08.2017

Notification

Miscellaneous

Whereas the U.P. Electricity Supply Code 2005 (Fifth Amendment) was notified on 25th August, 2014, in accordance with Sections 176 and 183 of Electricity Act, 2003 and all other enabling powers in this behalf,

And whereas, the licensees are facing difficulties in some of the provisions of the Electricity Supply Code 2005 and amendments thereof and have requested further for some amendments in the Electricity Supply Code

And whereas, by reason of some of the said difficulties in the Supply Code 2005, some addendums / substitution / deletions in the Electricity Supply Code 2005 and amendments thereof, have been made

And whereas, as a result of the above and for other substantial reasons, it has become necessary to amend certain provisions of the Supply Code 2005 and amendments thereof


Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 50 of the Electricity Act and the provisions of the Supply Code 2005 and all other enabling powers in this behalf, the Uttar Pradesh State Electricity Regulatory Commission makes the following Electricity Supply Code (Ninth Amendment), 2017 namely:

1. **Short title and commencement** - (1) This Code shall be called the Electricity Supply Code (Ninth Amendment) 2017

(2) It shall come into force on the date of publication in the Official Gazette

(3) The provision under 6.8 (a)(ii) inserted by Eighth Amendment shall be abolished and new proviso under 4.9 (h) shall be added


2. **Addition of additional proviso under 4.9 (k)**



For the purpose of electrification in undeveloped/ un-electrified colonies within or adjoining any urban area whose distribution network has not been developed by the developer, it is provided that the distribution licensee shall develop the necessary distribution network to facilitate connections in such colonies for which a scheme shall be prepared by the licensee. To meet the cost of development of distribution network a sum of Rs 35 per square feet of the plot size shall be charged by the licensee. This scheme will be implemented in those colonies where 25% of plot owners have built their houses and out of these 25% plot owners 50% residents would have deposited the development charges @Rs 35 per square feet of their plot size in one lump sum or in instalments, as per the scheme envisaged by the licensee. The development charges shall also be payable by those plot/house owners who have taken the connections through temporary arrangement. For development of the network, the HT lines shall be built on STP and LT Lines on PCC Poles.

If the total cost of electrification of the colony is not recovered by the licensee through payments of @ 35 per square feet, the remaining amount can be recovered by the licensee as Capex in the ARR.

This scheme would not be applicable in the colonies developed by Development Authorities / Housing Boards as the charges for developing the electrical infrastructure is already included in the price charged by these organizations for the plots.


(S.K. Agarwal)
Member


(Desh Deepak Verma)
Chairman

Dated: 21.08.2017